



रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास (डी. एम. एफ.)

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधरनगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ 496001

फ़ोन -07762220310 ईमेल -raigarhdmf@gmail.com

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश

क्रमांक -240137208409

रायगढ़ / दिनांक - 13/03/2024

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 के पहले अनुच्छेद (पैरा) में दिये गए प्रावधान के अनुरूप रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद से अनुमोदन के प्रत्याशा में निम्नलिखित कार्य के लिए राशि रूपये ₹32,00,000.00 (बत्तीस लाख ₹) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण								
कार्य का नाम -	रायगढ़ जिले के शैलचित्र कला से संबंधित पुरास्थलों के अभिलेखीकरण एवं संरक्षण के हेतु कुल राशि रु. 32,00,000.00 मात्र (अक्षरी:- राशि रु. बत्तीस लाख मात्र) हेतु							
कार्य की प्राथमिकता -	अन्य प्राथमिक कार्य							
सेक्टर -	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण / -							
सब सेक्टर -	खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायो/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय।							
कार्य की अवधि (दिनों में) -	365							
कार्य स्थल								
क्र.	कार्य स्तर	जिला	क्षेत्र	तहसील /नगरी निकाय	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम/वाड	विधानसभा
1	District Level	RAIGARH	-	-	-	-	-	खरसिया
2	District Level	RAIGARH	-	-	-	-	-	धर्मजयगढ़
3	District Level	RAIGARH	-	-	-	-	-	रायगढ़
स्वीकृत क्षेत्र की स्थिति-	दोनों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र)							
तकनीकी स्वीकृति क्र /दिनांक -	904 / 05-02-2024							
तकनीकी स्वीकृति की राशि -	₹32,00,000.00 (बत्तीस लाख ₹)							
प्रशासकीय स्वीकृति की राशि -	₹32,00,000.00 (बत्तीस लाख ₹)							
प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र की राशि -	₹16,00,000.00 (सोलह लाख ₹)							
अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र की राशि -	₹16,00,000.00 (सोलह लाख ₹)							
कार्य एजेंसी-	Registrar Pt. R.S.U. Raipur उच्च शिक्षा विभाग रायगढ़							

(प्रथम किश्त के रूप में राशि रु ₹16,00,000.00 (सोलह लाख) प्रदत्त की जाती है)

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:-

- 1) प्राप्त धन राशि को स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में उपयोग न किया जावे।
- 2) स्वीकृत राशि का व्यय भंडार क्रय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3) कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यस्थल का एक फोटोग्राफ्स, एवं कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक कोण से चार फोटोग्राफ्स लिया जाकर कार्य के अंतिम के मांग पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4) कार्य स्थल पर स्थायी सूचना फलक लगाया जाये जिसमें कार्य से संबंधित सम्पूर्ण विवरण, डीएमएफ का लोगो, योजना का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्णता दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- 5) अतिरिक्त आंबटन की प्रत्याशा में प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में न किया जाये एवं प्रदत्त आंबटन का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में पुरा किया जाये।
- 6) न्यास से कार्य एजेंसी को प्राप्त राशि से अर्जित ब्याज की राशि व्यय करने हेतु कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष जिला रायगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 7) ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों को जीपीडीपी में अंकित कराना अनिवार्य होगा।
- 8) किसी भी स्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय न किया जावे, अधिक व्यय होने की स्थिति में जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।
- 9) निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं पाए जाने पर पुनः सुधार कार्य पर होने वाला व्यय संबंधित कार्य एजेंसी के द्वारा स्वयं अथवा संबंधित विभाग द्वारा वहां किया जावेगा।
- 10) कार्य एजेंसी का यह दायित्व होगा की कार्य प्रगति एवं राशि के व्यय के संबंध में रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे।



कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक -240137208409

रायगढ़ / दिनांक - 13/03/2024

प्रतिलिपि :-

- 1) जिला खनिज संस्थान न्यास के पदेन सदस्य माननीय विधायक रायगढ़/खरसिया/धरमजयगढ़/लैलूंगा की ओर सूचनार्थ।
 - 2) व्यवस्थापक, छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 3) सचिव छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
 - 4) आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 5) संचालक, भूमिको तथा खनिकर्म सेकेंड फ्लोर, ब्लाक 4, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 6) सदस्य सचिव, जिला खनिज संस्थान न्यास प्रबंधकारिणी समिति एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)
 - 7) Registrar Pt. R.S.U. Raipur (SoS in Ancient Indian History, culture & Archaeology, Pt. R.S.U. Raipur, C.G.) (कार्य एजेंसी)
 - 8) उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं क्रमांक 7 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)